न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03/11/25 पत्रावली पेश। वकु. उप.। वकील वादी को तलबी हेतु पूर्व मे कई अवसर देने के बाद भी आज दि. तक तामील पेश नही की गई। इसलिए दावा वादी 09 R 05 CPC मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नक्शा से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख्य भण्डार हो।	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

आनन्दीलाल बनाम गिर्राज

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/51/2024

20.02.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा संख्या 821/0.77, वाके ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मे सें 0.3000 है0 भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नही करें न स्वयं कब्जा करे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नही करें तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग को जरिये रहन बय हिबा दान आदि के अन्य किसी को मुनतकिल नही करें और को मुन्तकिली का दस्तावेज तहरीर नही करें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ***विवादित आराजी खसरा संख्या 821/0.77, वाके ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मे सें 0.3000 है0 भूमि कें रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 03.04.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

3/4/2024 अभिभाषक अध्यक्ष ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 23/7/2024 को पेश हो
S.D.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

13/1/25 पत्रावली पेश। बुलावा उप०। वास्ते जवाब व तलबी प्रतिवादी (2) दिनांक 27/3/25 को पेश हो।

SDO

21/7/25 पत्रावली पिछड़ा प्राप्त हुई बुलावा उप० वास्ते जवाब व तलबी प्रतिवादी (2) दिनांक 27/10/25 को पेश हो।

SDO

27/10/25
पत्रावली पेश। बकु० उप०। वास्ते जवाब व तलबी प्रति(2) दिनांक 03/11/25 को पेश हो।

SDO

03/11/25 पत्रावली पेश। बकु. उप.। मूलवाद 1152/24 O9 R5 CPC में खारीज हो जाने के कारण प्रा. पत्र 212 भी O9 R5 CPC में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद संलग्न होकर जमा हो।

SDO